दिनांक 27–10–2021

आज पत्रावली पेश हुई। [illegible] वकील उपस्थित। प्रार्थी ने दावे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/वादी अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील वादी को सुना । चूंकि वादी का वाद नहीं चलाने के कारण खारिज किया जा चुका है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई ओचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04–02–2020 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महुवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar Meena
Date: 2021.12.16 12:58:01 IST
Reason: SelfAttested

~~दिनांक 08–11–2021~~

~~प्रार्थीयागण की ओर से दावे में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली प्राप्त की गयी। प्रार्थीयागण की ओर से श्री गोपाल बन्धु~~